

दिनांक	आज्ञा पत्र	
3010-17	<p>पत्रावली प्रस्तुत करीब 24/10/2020 को पीजीसी अधिकारी को भेजा गया था। पर है। अतः पत्रावली पूर्व अज्ञानुसार दिनांक 30/11/20 को भेजा हो।</p>	
30/11/20	<p>पत्रावली प्रस्तुत करीब 25/11/20 को पीजीसी अधिकारी को भेजा गया था। पर है। अतः पत्रावली पूर्व अज्ञानुसार दिनांक 25/11/20 को भेजा हो।</p>	
25-1-18	<p>पत्र - कार कावाज दिलाई गई। कपीलार्ड एवं कपीलार्ड के वकील कोर्ट हाजिर नहीं आए। अतः कदम हाजरी एवं कदम फेरकी कावत होने से कपीलार्ड रकारिज की जाती है। पत्रावली बाद तरलीकत कपीलार्ड कारवली दफतर हो। निर्वास सुनाया गया।</p>	<p>मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदम राजकुमार अधिकारी सीकर</p>